

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 231]** No. 231] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASVINA 1, 1936

# जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

फा. सं. 2/15/2014-बी एम.—माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 668 के साथ इन री: "नेटवर्किंग ऑफ रिवर्स" में 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 668 के संदर्भ में अपने तारीख 27 फरवरी 2012 के निर्णय में केंद्रीय सरकार को उक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में एक समिति अर्थात् "निदयों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष समिति" गठित करने का निदेश दिया है।

और, मंत्रिमंडल ने अपनी तारीख 24 जुलाई, 2014 की बैठक में, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का विनिश्चय किया है।

अत: अब, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने एक समिति का गठन किया है, अर्थात् "निदयों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष समिति" (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), जिसमें निम्निलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत: :—

- (क) माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
- (ख) माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
- (ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
- (घ) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- (ङ) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।
- (च) महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सदस्य सचिव।
- (छ) निम्नलिखित मंत्रालयों/निकायों से प्रत्येक से एक-एक कर चार विशेषज्ञ, नामनिर्देशित किए जाएंगे, अर्थातु:—

3828 GI/2014 (1)

- (i) एक विशेषज्ञ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से।
- (ii) एक विशेषज्ञ, वित्त मंत्रालय से।
- (iii) एक विशेषज्ञ, योजना आयोग से।
- (iv) एक विशेषज्ञ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ।
  - (ज) निम्नलिखित समवर्ती राज्यों में से प्रत्येक से जल और/या सिंचाई मंत्री के साथ-साथ प्रधान सचिव।
- (i) माननीय मंत्री, बृहद और मध्यम सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास विभाग के साथ-साथ प्रधान सचिव (पी), आंध्र प्रदेश सरकार ।
- (ii) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ सचिव (जल संसाधन), नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कलपसर विभाग, गुजरात सरकार।
- (iii) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार ।
- (iv) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ।
- (v) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।
- (vi) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ।
- (vii) माननीय मंत्री (लोक कार्य) तमिलनाडु सरकार ।
- (viii) माननीय मंत्री (सिंचाई) के साथ-साथ प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।
- (ix) माननीय मंत्री (भारसाधक), जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार ।
- (x) माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।
- (xi) माननीय मंत्री (सिंचाई) के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार ।
- (xii) माननीय मुख्य मंत्री, पुदुच्चेरी के साथ-साथ सचिव (लोक कार्य), मुख्य सचिवालय, पुदुच्चेरी सरकार ।
- (झ) मुख्य सचिव या किसी अन्य राज्य के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या उससे ऊपर के रैंक के उनके नामनिर्देशिती व्यक्ति जो जल को जोड़ने की नदी परियोजना में शामिल हों, जैसा नीचे दिया गया है:
- (i) प्रधान सचिव (एन), मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के नामनिर्देशित व्यक्ति ।
- (ii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ।
- (iii) सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के नामनिर्देशित व्यक्ति के रूप में ।
- (iv) मुख्य सचिव, ओड़िशा सरकार ।
- (v) सचिव, सिंचाई और जल मार्ग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।
- (vi) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार।
- (vii) प्रधान सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार ।
- (viii) प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
- (ix) मुख्य सचिव, असम सरकार ।
- (x) मुख्य सचिव, बिहार सरकार ।
- (xi) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार या उनके नामनिर्देशित व्यक्ति, जिनकी श्रेणी प्रधान सचिव से कम न हो ।
- (xii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ।

- (xiii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार।
- (xiv) मुख्य सचिव, पंजाब सरकार ।
- (ञ) संबंधित मंत्रालयों अर्थात् जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दो-दो सामाजिक कार्यकर्ता नामनिर्देशित किए जाएंगे।
- (ट) श्री रंजीत कुमार (न्यायमित्र)।
- (ठ) समिति के कार्यों के लिए निदेश इस प्रकार हैं -
  - (i) सिमिति दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपने कार्यवृत्त और विचार-विमर्श का रिकार्ड रखेगी, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
  - (ii) इन बैठकों में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में, उनके पद को ध्यान में रखे बिना बैठक को स्थिगत नहीं किया जाएगा।
  - (iii) सिमिति ऐसे निबंधन और शर्तों के आधार पर जिन्हें वह उचित समझे, निदयों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के उद्देश्यों को परा करने के लिए ऐसी उप-सिमितियां बना सकती है. जिन्हें वह आवश्यक समझती है।
  - (iv) सिमिति, भारत सरकार के मंत्रिमंडल को छमाही आधार पर प्रास्थिति-सह प्रगित रिपोर्ट और उसमें उल्लिखित सभी मामलों के विषय में लिए जाने वाले निर्णयों की एक रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रिमंडल यथासंभव शीघ्र और अधिमानत: उसके समक्ष विचार के लिए मामलों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी अंतिम और उपयुक्त विनिश्चय लेगा।
  - (v) "नदियों की नेटवर्किंग" के विषय में वर्ष 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 512 के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय (माननीय उच्चतम न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत विशेषज्ञ निकायों की सभी रिपोर्ट और स्थिति रिपोर्टे विचार किए जाने के लिए सिमिति के समक्ष रखी जाएंगी। रिपोर्टों के सम्यक विश्लेषण और विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर सिमिति परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी योजनाएं बनाएगी।
  - (vi) इस प्रकार तैयार की गई योजनाओं के विभिन्न चरण होंगे, जो सीधे परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, निर्माण, निष्पादन और उसके पूर्ण होने से संबंधित होंगे।
  - (vii) सिमिति, निदयों को परस्पर जोड़ने की परियोजना का समय आधारित ढ़ंग से प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करेगी । सिमिति पहले-पहल केन-बेतवा संपर्क परियोजना शुरू करेगी और मांगे गए स्पष्टीकरण पर सिमिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।
- (viii) सिमिति, साध्यता रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए पक्का कदम उठाएगी और एक निश्चित समय-सीमा तय करेगी और परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करेगी, जिससे कि यथोचित समय के भीतर फायदे और लागत प्राप्त हो सके।
- (ix) प्रारम्भिक प्रक्रमों में इस कार्यक्रम में वे राज्य शामिल नहीं हो सकते, जिनके पास पर्याप्त जल उपलब्धता है, और जो निदयों को परस्पर जोड़ने के किसी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं, और परियोजनाओं को बिना उनकी प्रभावी सहभागिता के पूरा किया जा सकता है। तथापि, समिति किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ंग से पूरा करने के लिए किसी राज्य को शामिल कर सकती है।
- (x) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें कार्यक्रम में हिस्सा लें और इन परियोजनाओं को और अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से पूरा करने के लिए, सभी वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यकारी सहायता दें।
- (xi) निदयों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट भी सिमित के समक्ष रखी जाएगी, जो नियमित रूप से रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अपेक्षित ध्यान देगी और यह विनिश्चय लेगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें किस प्रकार लागू किया जा सकता है।
- (xii) सिमिति निदयों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिम्मेदार होगी । सिमिति के विनिश्चयों को इस न्यायालय (माननीय उच्चतम न्यायालय) के आदेशों या अन्य आदेशों के अधीन गठित सभी प्रशासनिक निकायों पर अग्रता दिया जाएगा ।

# MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

**F. No. 2/15/2014-BM.**—Whereas, the Hon'ble Supreme Court, in its judgment dated 27th February, 2012 in W.P (C) No. 512 of 2002 in re: "Networking of Rivers" along with W.P (C) No. 668 of 2002, directed, the Central Government in the Ministry of Water Resources, to constitutes a Committee, namely, a 'Special Committee for Inter-linking of Rivers', to perform the functions specified in the said directions;

And whereas, the Cabinet, in its meeting dated 24th July, 2014, has decided to implement the above directions of the Hon'ble Supreme Court.

Now, therefore, in compliance with the above directions of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby constitutes a Committee, namely, a 'Special Committee for Inter-linking of Rivers' (hereinafter referred to as the Committee), consisting of the following members, namely:—

- (a) Hon'ble Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- (b) Hon'ble Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- (c) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- (d) Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
- (e) Chairman, Central Water Commission.
- (f) Director General, National Water Development Agency Member Secretary.
- (g) Four experts, to be nominated, one each from the following Ministries/bodies, namely:—
  - (i) One Expert from the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
  - (ii) One Expert from the Ministry of Finance,
  - (iii) One Expert from the Planning Commission,
  - (iv) One Expert from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
- (h) Minister for Water and/or Irrigation with the Principal Secretary from each of the following concurring States, namely:—
  - (i) Hon'ble Minister for Major and Medium Irrigation with Principal Secretary (P), Irrigation & Command Area Development Department, Government of Andhra Pradesh,
  - (ii) Hon'ble Minister of Water Resources with Secretary (Water Resources), Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Government of Gujarat,
  - (iii) Hon'ble Minister for Water Resources with Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Karnataka,
  - (iv) Hon'ble Minister, Water Resources Department with Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Madhya Pradesh,
  - (v) Hon'ble Minister for Water Resources with Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Maharashtra,
  - (vi) Hon'ble Water Resources Minister with Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Rajasthan,
  - (vii) Hon'ble Minister (Public Works), Government of Tamil Nadu,
  - (viii) Hon'ble Irrigation Minister with Principal Secretary, Irrigation Department, Government of Uttar Pradesh,
  - (ix) Hon'ble Minister in charge of Water Resources Department, Government of Jharkhand,
  - (x) Hon'ble Minister Water Resources with Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Bihar,
  - (xi) Minister for Irrigation with Additional Chief Secretary, Irrigation Department, Government of Haryana,

- (xii) Hon'ble Chief Minister of Puducherry with Secretary (Public Works) Chief Secretariat, Government of Puducherry.
- (i) The Chief Secretary or his nominee not below the rank of the Principal Secretary of the concerned Department of any other State involved directly or indirectly in the water linking river project as specified below, namely:—
  - (i) Principal Secretary (N) nominee of the Chief Secretary, Government of Gujarat,
  - (ii) Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Rajasthan,
  - (iii) Secretary to Government, Public Works Department, Government of Tamil Nadu as a nominee of the Chief Secretary to Government of Tamil Nadu,
  - (iv) Chief Secretary, Government of Odisha,
  - (v) Secretary, Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal,
  - (vi) Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Jharkhand,
  - (vii) Principal Secretary/Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand,
  - (viii) Principal Secretary (Urban Development), Government of National Capital Territory of Delhi,
  - (ix) Chief Secretary, Government of Assam,
  - (x) Chief Secretary, Government of Bihar,
  - (xi) Chief Secretary, Government of Haryana or its nominee not below the rank of Principal Secretary,
  - (xii) Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Chhatisgarh,
  - (xiii) Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Kerala,
  - (xiv) Chief Secretary, Government of Punjab.
  - (j) Two social activists to be nominated by each of the concerned Ministries, namely, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Finance, Planning Commission, Ministry of Environment Forests and Climate Change.
  - (k) Mr. Ranjit Kumar (Amicus Curiae).

### 2. Directions as to functions of the Committee:—

- I. The Committee shall meet at least once in two months and shall maintain records of its discussion and the Minutes. Hon'ble Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation shall preside over the Meeting.
- II. In the absence of any person from such meeting, irrespective of his status, the meeting shall not be adjourned.
- III. The Committee may constitute such sub-committees, as it may deem necessary for the purposes of carrying on the objects of the inter-linking of river program, on such terms and conditions as it may deem proper.
- IV. The Committee shall submit a bi-annual report to the Cabinet in the Government of India placing before it the status-cumprogress report as well as all the decisions required to be taken in relation to all matters communicated therewith. The Cabinet shall take all final and appropriate decisions, in the interest of the country as expeditiously as possible and preferably within thirty days from the date the matters are first placed before it for consideration.
- V. All the reports of the expert bodies as well as the status reports filed before this Court (the Hon'ble Supreme Court) during the pendency of petition WP (C) No. 512 of 2002 In Re: 'Net Working of Rivers', shall be placed before the Committee for its consideration. Upon due analysis of the Reports and expert opinions, the Committee shall prepare its plans for implementation of the project.
- VI. The plans so prepared shall have different phases, directly relatable to the planning, implementation, construction, execution and completion of the project.
- VII. Committee will ensure the effective executions of the Interlinking of Rivers project in a time based manner. The Committee shall take up Ken-Betwa link project for implementation at the first instance itself and the clarification sought would be discussed by the Committee.

- VIII. The Committee shall take firm steps and fix a definite timeframe to lay down the guide lines for completion of feasibility reports or other reports and shall ensure the completion of projects so that the benefits accrue within reasonable time and cost.
- IX. At the initial stages, this programme may not involve those States which have sufficient water and are not substantially involved in any inter-linking of river programme and the projects can be completed without their effective participation. However, the Committee may involve any State for effective completion of the programme at any subsequent stage.
- X. The Committee shall ensure that the Central and the State Governments participate in the program and render all financial, administrative and executive help to complete these projects more effectively.
- XI. The Report of the Task Force on Interlinking of Rivers shall also be placed before the Committee which shall, without fail, take due note of the suggestions made therein and take decisions as to how the same are to be implemented for the benefit of the public at large.
- XII. The Committee shall be responsible for carrying out the Inter-linking programme. The decisions of the Committee shall take precedence over all administrative bodies created under the orders of this Court (the Hon'ble Supreme Court) or otherwise.

URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)